

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**ON THE**  
**CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME**  
**BETWEEN**  
**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA**  
**AND**  
**THE GOVERNMENT OF THE JAMAICA**  
**FOR THE YEARS 2024-2029**

The Government of the Republic of India and the Government of Jamaica (hereinafter jointly referred to as the "Participants" and separately as a "Participant");

**RECALLING** the implementation of the Cultural Agreement signed between the Participants in Kingston on 5<sup>th</sup> October, 1992; and

**DESIRING** to strengthen the friendly links between the Participants so as to deepen cultural relations between them;

**HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:**

**PARAGRAPH 1**

**AIM**

The Aim of this Memorandum of Understanding is to encourage cooperation between the Participants' cultural institutions and practitioners in order to develop activities which will contribute to the improvement of the mutual knowledge of both countries and the diffusion of their respective cultures.

For purposes of this Memorandum of Understanding, the Participants will engage in a broad range of activities and initiatives to deepen appreciation for, and to develop, the respective Entertainment, Culture and Creative Industries of the Participants, including, but not limited to the matters set out herein in this regard.



## **PARAGRAPH 2**

### **SCOPE OF COOPERATION AND UNDERSTANDING**

#### **(i) Music and Dance**

The Participants will exchange music and dance ensembles and/or individual performing artists including classical, folk troupes and other traditional music for a period not exceeding 10 days each, unless otherwise decided by the Participants in writing through diplomatic channels. Dates and other details of such exchange will be mutually decided upon by the Participants, likewise, through diplomatic channels.

#### **(ii) Theatre, Broadcast, Audio-visual Works, Animation and Film**

- a) Both Participants will encourage and facilitate the exchange of theatre performances in both countries and the participation in local and international theatre festivals on mutually approved terms.
- b) Both Participants will exchange theatre journals and publications between the two countries on mutually approved terms.
- c) Both Participants will encourage information and content exchanges, tours, Study Tours, Workshops, capacity building exercises, and facilitation for broadcast, audio-visual works, animation and film and other productions in both countries. Details of such exchanges, exercises, activities, facilitations, and or visits not expressly provided for in this Memorandum of Understanding herein, will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.
- d) Both Participants will invite each other to their respective film festivals, and such other festivals as both Participants may decide upon through diplomatic channels.

#### **(iii) Mass Media**

- (a) Both Participants will exchange programmes depicting various facets of life and culture in the two countries through their respective radio and TV organisations.
- (b) Both Participants will endeavour to strengthen relations between their national broadcasting organisations by



exchange of Programmes, technical professionals and by utilising training, expertise and facilities available in their respective countries. Details of exchanges will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.

**(iv) Exhibitions, Seminars and Conferences**

- a) The Participants will exchange contemporary and modern art exhibitions between the two countries on a reciprocal basis on mutually approved terms.
- b) Both Participants will invite experts from both countries to participate in international seminars, symposiums, conferences, camps, residencies, among other platforms and fora, on culture and arts.

**(v) Archaeology**

- a) The Participants will support cooperation in the field of protection, conservation and promotion of the cultural heritage of both countries.
- b) The Participants will exchange one expert each in the field of protection and conservation of ancient monuments and archaeological sites, artifacts, art objects and development of archaeological site museums for no more than a two-week period, unless otherwise decided by the Participants in writing through diplomatic channels. Details of which will be mutually decided upon by the Participants likewise, through diplomatic channels.
- c) The Participants will cooperate and exchange expertise in the area of prevention of illicit trafficking of cultural property in India and Jamaica. Details of which will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.

**(vi) Archives**

- a) The Participants will promote the exchange of information and documentation concerning the history of Jamaica in the archives of India and the history of India in the archives of Jamaica, as well as digital copies of documents where appropriate and of interest to both Participants. Details of which will be decided upon by the Participants through diplomatic channels.



- b) Both Participants will exchange experts for a period of one week in each case, or such other period as the Participants may decide in writing through diplomatic channels, in the field of Records and Information Management, Archives Administration and Conservation of Records, digitisation and digital preservation of records. Both Participants may also exchange information and documentation from time to time, with respect to, among other things, Data Collection and Information Sharing policies, practices, standards and regimes.
- c) The National Archives of India will provide professional training facilities to officials and students of Jamaica in the courses run by the School of Archival Studies. Similarly, the National Archives of Jamaica will provide professional training courses to officials of National Archives of India.

**(vii) Library**

- a) Both Participants will exchange publications and other reading materials of mutual interest on a reciprocal basis.
- b) The Participants will facilitate the exchange of visits of library experts with a view to promote library activities between both countries. Details of which will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.
- c) Both Participants will facilitate the exchange of resources between the National Library of Jamaica and the National Library of India.

**(viii) Museums**

- a) The National Museums of the Participants will exchange exhibitions, museum exhibits and museum personnel. Exhibitions may also be organised jointly by the respective museums which will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.
- b) There will be an exchange of the museum's personnel/experts including Curators, Deputy Curators, Research Officers, Assistant Curators, Conservators for a period of four weeks, or such other period as decided by the Participants in writing through diplomatic channels, to share the knowledge and expertise in their respective fields.



- c) There will be an exchange of standard art publications. The details of such exchanges will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.

**(ix) Literature**

- a) Both Participants will exchange a writer's delegation on a reciprocal basis. Details of such visits will be mutually decided upon by the Participants through diplomatic channels.
- b) Both Participants will promote the translation of literary works of famous writers and poets in both countries.
- c) Both Participants may facilitate an exchange of Poets Laureate as part of an effort to encourage interest in the writings of Jamaican and Indian poets from either country.

**(x) Research and Documentation**

**Both Participants will facilitate, among other things:**

- a) studying of the artistic heritage, Folklore/folk traditions and narrative forms;
- b) devising creative activities for cognitive and skill development of students;
- c) exploring possibilities of developing educational activities at Art Academies, Museums, Cultural Centres and Educational Institutions for children;
- d) development of audio-visual and printed educational materials for students and teachers to have better understanding of tangible and intangible art forms of both the countries; and
- e) documentation of the Arts, Museum objects and Production of Cultural Resources of both countries.

**(xi) Science Museums/ Centres**

Both Participants will exchange one senior level Science Communication professional to study science centres/museums and non-formal science education programmes in India and in Jamaica. The professional from Jamaica will visit India to study National Council of Science Museum (NCSM)/centre programme for identifying and strengthening collaborative avenues for development of interactive



science centres and non-formal science learning centres, etc. The duration of the visit will be one week each or such other duration as both Participants may decide in writing through diplomatic channels.

**(xii) Anthropology**

Both Participants will exchange visits of experts in anthropology of different institutes of both countries.

**(xiii) Textiles, Fashion, Costumes, Art, Craft and other areas of the Entertainment, Culture and Creative Industries**

Both Participants will facilitate training, capacity building programmes, and knowledge transfer, particularly in cultural communities, and among the youth of the countries of both Participants with respect to Textiles, Fashion, Costumes, Art, Craft and other areas of the Entertainment, Culture and Creative Industries. The details of these arrangements, which are not express herein, will be decided by the Participants in writing through diplomatic channels.

**(xiv) Festivals**

The Participants will facilitate performances in festivals in Jamaica and India, which will include the exchange of tours of performing arts groups of multiple participants from each side. The details of these tours and other activities included will be developed on the basis of reciprocity.

**(xv) Youth Programmes**

The Participants will encourage youth programme exchanges, facilitate youth participation in festivals in both countries, visits of the officials in charge of the Youth Affairs, sharing of experiences, skills, techniques, information and knowledge in the areas of cooperation in youth affairs and participation of youth in seminars and conferences organised in both the countries on youth related issues.

**PARAGRAPH 3**

**COMPETENT AUTHORITIES AND ESTABLISHMENT OF A JOINT IMPLEMENTATION COMMITTEE**

(a) For the purposes of the implementation of this Memorandum of Understanding, the Competent Authorities will be:

- 1) for and on behalf of the Government of the Republic of India:  
The Ministry of Culture and



- 2) in the case of the Government of Jamaica: The Ministry of Foreign Affairs and Foreign Trade and the Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sport

(b) The Participants will establish a Joint Implementation Committee comprised of three representatives from each country and will meet once a year alternately in the capital of both countries. The Joint Implementation Committee may also meet via conferencing, whenever circumstances require, to deliberate on the implementation of this Memorandum of Understanding.

The Joint Implementation Committee will be responsible for:

1. reviewing the implementation of the Memorandum of Understanding in both countries; and
2. Advising the Participants on ways to improve the implementation of the Memorandum of Understanding.

#### **PARAGRAPH 4** **GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS**

##### **A. Exchange of individuals, delegations, exhibitions:**

Each Participant will send to the other Participant the bio-data (including languages spoken and proposed itinerary) at least two months in advance of the expected date of visit of the delegation or individuals selected under this Programme and bio-data of performing groups at an exhibition, four months in advance. The receiving Participant will inform the sending Participant about deciding to receive or postponing the date at least one month in advance. This may be varied by both Participants in writing through diplomatic channels.

##### **B. Exchange of exhibitions:**

Separate arrangements will be reached between the promoting Participant and the receiving Participant with regard to exhibitions, to include matters relative to insurance of the exhibitions and cost of organisation of the exhibitions while in the receiving country. The sending Participant will inform the receiving Participant about the technical details of the proposed exhibition. The necessary information for the elaboration of the corresponding catalogue must be sent three



months before the inauguration date. The art exhibits must arrive at their destination 15 days before the opening of the exhibition. This may be varied by both Participants in writing through diplomatic channels.

**C. Exchange of materials:**

Each Participant will have the right to use the materials exchanged in the fields of information and mass media in its own programmes and such materials should not be given by the receiving Participant to a third party. This may only be varied by both Participants in writing, through diplomatic channels.

**D. Finances :**

The sending Participant will provide international travel expenses, including airfare, in respect of visiting delegations and or artists, artistes and performing groups in case of visits for a period not exceeding one month. The receiving Participant will only provide, in any given circumstance, hospitality, which includes covering the reasonable official costs of accommodation, meals, and ground transportation, as well as any costs associated with emergency medical treatment administered to any and all members of visiting delegations and or artists, artistes and performing groups visiting the receiving Participant, pursuant to this Memorandum of Understanding, for the duration of said visit. This is applicable in respect of both Participants, and may be only varied by both Participants in writing through diplomatic channels

**PARAGRAPH 5**

**Miscellaneous**



- a) Both Participants intend to expand areas of cooperation pursuant to this Memorandum of Understanding to advance and enhance understanding, cooperation and development of all areas within the respective Entertainment, Culture and Creative Industries. Such activities will be further particularised from time to time in writing through diplomatic channels including through Schedules to this Memorandum of Understanding signed by both Participants.



- b) Any dispute between the Participants arising out of the interpretation, application or implementation of this Memorandum of Understanding, will be settled amicably through consultation or negotiations between the Participants.
- c) The provisions of this Memorandum of Understanding will not preclude the Participants from deciding through diplomatic channels, on other arrangements which they may deem desirable.
- d) This Programme may be amended at any time by mutual written consent of the Participants by an Exchange of Notes between the Participants through diplomatic channels. Any such amendment will take effect on a date agreed by the Participants.
- e) This Memorandum of Understanding shall enter into effect on the date of its signature thereof by the Participants and will remain in effect for a period of five years or until a new Memorandum of Understanding is signed.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done and signed at New Delhi on 30 September 2024 in two originals each in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA	FOR THE GOVERNMENT OF JAMAICA
 <p>Name: Mayank Joshi Designation: High Commissioner of India to Jamaica</p>	 <p>Name: Hon'ble Kamina Johnson Smith Designation: Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade</p>



**भारत गणराज्य की सरकार  
और  
जमैका की सरकार  
के बीच  
वर्ष 2024-2029 के लिए  
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम  
पर  
समझौता ज्ञापन**

भारत गणराज्य की सरकार तथा जमैका की सरकार (जिन्हें इसके पश्चात् संयुक्त रूप से "दोनों पक्ष" और पृथक् रूप से "पक्ष" कहा गया है);

5 अक्टूबर, 1992 को किंगस्टन में दोनों पक्ष के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार के कार्यान्वयन का **स्मरण करते हुए;** और

दोनों पक्ष के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने की **इच्छा से;**

**निम्नलिखित समझौते पर सहमत हुए हैं :**

**अनुच्छेद 1**

**उद्देश्य**

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भागीदारों की सांस्कृतिक संस्थाओं और व्यावसायिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि ऐसे कार्यकलाप विकसित किए जा सकें जो दोनों देशों के आपसी ज्ञान में सुधार करने तथा उनकी संबंधित संस्कृतियों के प्रसार में योगदान देंगे।

इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के लिए, भागीदार संबंधित मनोरंजन, संस्कृति और सृजनात्मक उद्योगों के प्रति गहरी समालोचना के लिए और उन्हें विकसित करने हेतु व्यापक स्तर के कार्यकलापों और प्रयासों में शामिल होंगे जिनमें तत्संबंधी मामलों को शामिल किया जाएगा परन्तु वे इन मामलों तक सीमित नहीं होंगे।



## अनुच्छेद 2

### सहयोग और समझौते का कार्यक्षेत्र

#### (i) संगीत और नृत्य

दोनों पक्ष, शास्त्रीय, लोक मंडलियों और अन्य पारंपरिक संगीत सहित संगीत एवं नृत्य मंडलियों और/या व्यक्तिगत रूप से कला प्रस्तुति करने वाले कलाकारों, प्रत्येक का अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे, जब तक कि भागीदारों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार, ऐसे आदान-प्रदान की तारीखों और अन्य ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से भागीदारों द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे।

#### (ii) रंगमंच, प्रसारण, श्रव्य-दृश्य कार्य, ऐनीमेशन और फिल्म

(क) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों में रंगमंच प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रंगमंच महोत्सवों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे और इसे सुविधाजनक बनाएंगे।

(ख) दोनों पक्ष, परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देशों के बीच रंगमंच संबंधी पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान करेंगे।

(ग) दोनों पक्ष, दोनों देशों में सूचना और विषय सामग्री के आदान-प्रदान, दौरो, अध्ययन दौरो, कार्यशालाओं, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे और प्रसारण, श्रव्य-दृश्य कार्य, ऐनीमेशन एवं फिल्म और अन्य निर्माणों को सुविधाजनक बनाएंगे। ऐसे आदान-प्रदानों, कार्यक्रमों, कार्यों, सुविधाओं और इस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से जिन दौरो का प्रावधान नहीं किया गया है, उनके ब्यौरे राजनयिकों चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे।

(घ) दोनों पक्ष, उनके संबंधित फिल्म महोत्सवों और राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा यथा निर्णीत ऐसे अन्य महोत्सवों में एक-दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

#### (iii) जन संचार

क) दोनों भागीदार, अपने संबंधित रेडियो और टेलीविजन संगठनों के माध्यम से दोनों देशों के जीवन और संस्कृति के विविध पहलुओं का चित्रण करने के लिए कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।



ख) दोनों पक्ष, कार्यक्रमों, तकनीकी व्यावसायिकों के आदान-प्रदान और अपने-अपने देश में उपलब्ध प्रशिक्षण, विशेषज्ञता तथा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने राष्ट्रीय प्रसारण संगठनों के बीच संबंध मजबूत करने के प्रयास करेंगे। ऐसे आदान-प्रदान के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित किए जाएंगे।

#### (iv) प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां और सम्मेलन

- (क) दोनों पक्ष, आपस में सहमत शर्तों पर पारस्परिक रूप से दोनों देशों के बीच समकालीन और आधुनिक कला प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे।
- (ख) दोनों पक्ष, संस्कृति और कला से संबंधित अन्य मंचों और फोरा के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों, विचार-गोष्ठियों, सम्मेलनों, शिविरों, आवासीय कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे।

#### (v) पुरातत्व विज्ञान

- (क) दोनों पक्ष, दोनों देशों की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में सहयोग का समर्थन करेंगे।
- (ख) दोनों पक्ष, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों, पुरावस्तुओं, कला वस्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण तथा पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों के विकास के क्षेत्र में प्रत्येक के लिए एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे जिसकी अवधि दो सप्ताह से अधिक नहीं होगी, जब तक कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से भागीदारों द्वारा लिखित में अन्यथा निर्णय न लिया जाए। तत्संबंधी ब्यौरे भागीदारों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर सहमति के आधार पर तय किए जाएंगे।
- (ग) दोनों पक्ष, भारत और जमैका में सांस्कृतिक परिसंपत्ति की गैर-कानूनी तस्करी को रोकने के संबंध में सहयोग करेंगे और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करेंगे। तत्संबंधी ब्यौरे दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर सहमति के आधार पर तय किए जाएंगे।

#### (vi) अभिलेखागार

- (क) दोनों पक्ष, संबंधित संग्रहों में पुनः पूर्ति के लिए भारत के अभिलेखागार में जमैका के इतिहास और जमैका के अभिलेखागार में भारत के इतिहास से संबंधित सूचना और प्रलेखन के साथ-साथ, जहां उपयुक्त हो और दोनों पक्ष के हितों से संबंधित हो,



दस्तावेज की डिजिटल प्रतियों का आदान-प्रदान करेंगे। तत्संबंधी ब्यौरे दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से तय किए जाएंगे।

(ख) दोनों पक्ष, अभिलेख और सूचना प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेखों के संरक्षण, अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं डिजिटल परिरक्षण के क्षेत्र में, प्रत्येक मामले में एक सप्ताह या राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा लिखित में तय की गई ऐसी अन्य अवधि के लिए, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों भागीदार अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त समय-समय पर डेटा संग्रहण एवं सूचना साझा करने की नीतियों, पद्धतियों, मानकों और व्यवस्थाओं के संबंध में सूचना और प्रलेखन का भी आदान-प्रदान करेंगे।

(ग) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जमैका के अधिकारियों और विद्यार्थियों को अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। इसी प्रकार, जमैका का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

#### (vii) पुस्तकालय

क) दोनों पक्ष, पारस्परिक आधार पर एक-दूसरे के हित के प्रकाशनों और अन्य पठन सामग्रियों का आदान-प्रदान करेंगे।

ख) दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच पुस्तकालय कार्यकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुस्तकालय विशेषज्ञों के दौरो के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाएं। तत्संबंधी ब्यौरे दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर सहमति के आधार पर तय किए जाएंगे।

(ग) दोनों पक्ष, जमैका राष्ट्रीय पुस्तकालय और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के बीच संसाधनों के आदान-प्रदान में सुविधा प्रदान करेंगे।

#### (viii) संग्रहालय

क) दोनों पक्ष के राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनियों, संग्रहालय प्रदर्शों तथा संग्रहालय कार्मिकों का आदान-प्रदान करेंगे। संबंधित संग्रहालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शनियां भी आयोजित की जा सकती हैं जिसके संबंध में राजनयिक चैनलों के माध्यम से परस्पर रूप से निर्णय लिया जाएगा।

ख) संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए चार सप्ताह या राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा लिखित रूप में यथानिर्णीत ऐसी अन्य



अवधि के लिए संग्रहाध्यक्षों, उप संग्रहाध्यक्षों, अनुसंधान अधिकारियों, सहायक संग्रहाध्यक्षों, संरक्षकों सहित संग्रहालय के कार्मिकों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

ग) मानक कला प्रकाशनों का आदान-प्रदान किया जाएगा। ऐसे आदान-प्रदान का विवरण दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से पारस्परिक आधार पर तय किया जाएगा।

#### (ix) साहित्य

क) दोनों पक्ष, परस्पर आधार पर एक लेखक प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे दौरों के ब्यौरे राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों पक्ष द्वारा परस्पर रूप से तय किए जाएंगे।

ख) दोनों पक्ष, दोनों देशों के प्रसिद्ध लेखकों और कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे।

ग) दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में जमैकन और भारतीय कवियों की रचनाओं में रुचि को बढ़ावा देने हेतु प्रयास के भाग के रूप में सम्मानित कवियों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाएंगे।

#### (x) अनुसंधान और प्रलेखन

दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएंगे :

क) कलात्मक विरासत, लोक साहित्य/लोक परम्परा तथा कथा रूपों का अध्ययन।

ख) छात्रों के ज्ञानात्मक तथा कौशल विकास के लिए रचनात्मक कार्यकलापों को तैयार करना।

ग) बच्चों के लिए कला अकादेमियों, संग्रहालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों और शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यकलापों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।

घ) दोनों देशों के मूर्त और अमूर्त कला रूपों की बेहतर समझ के लिए छात्रों और अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य तथा मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों का विकास करना।

ड.) दोनों देशों की कला, संग्रहालय वस्तुओं और सांस्कृतिक संसाधनों के निर्माण का प्रलेखन करना।



### **(xi) विज्ञान संग्रहालय/केन्द्र**

दोनों भागीदार, भारत में और जमैका में विज्ञान केन्द्रों/संग्रहालयों एवं अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए वरिष्ठ स्तर के एक विज्ञान संचार व्यावसायिक का आदान-प्रदान करेंगे। पारस्परिक सहभागिता विज्ञान केन्द्रों एवं अनौपचारिक विज्ञान शिक्षण केन्द्रों आदि के विकास हेतु सहयोगात्मक अवसरों की पहचान और सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) संग्रहालय /केन्द्र कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए जमैका से व्यावसायिक भारत का दौरा करेंगे। प्रत्येक के लिए दौरे की अवधि एक सप्ताह या राजनयिक चैनलों के माध्यम से दोनों भागीदारों द्वारा लिखित रूप में तय की गई कोई अन्य अवधि होगी।

### **(xii) मानवविज्ञान**

दोनों पक्ष, दोनों देशों के विभिन्न संस्थानों के मानवविज्ञान विशेषज्ञों के दौरों का आदान-प्रदान करेंगे।

### **(xiii) वस्त्र, फैशन, परिधान, कला, शिल्प और मनोरंजन, संस्कृति के अन्य क्षेत्र तथा सृजनात्मक उद्योग**

दोनों पक्ष, वस्त्र, फैशन, परिधान, कला, शिल्प और मनोरंजन, संस्कृति के अन्य क्षेत्र तथा सृजनात्मक उद्योग के संबंध में दोनों पक्ष के देशों के सांस्कृतिक समुदायों और युवाओं के बीच प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाएंगे। इन व्यवस्थाओं से संबंधित वे विवरण जो यहां व्यक्त नहीं किए गए हैं, उनके संबंध में निर्णय दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में लिया जाएगा।

### **(xiv) महोत्सव**

दोनों पक्ष, जमैका और भारत में महोत्सवों में प्रस्तुतियों को सुविधाजनक बनाएंगे जिसमें प्रत्येक पक्ष से विविध भागीदारों के मंचकला समूहों के दौरों का आदान-प्रदान शामिल होगा। शामिल किए गए इन दौरों और अन्य कार्यक्रमों के ब्यौरे पारस्परिकता के आधार पर विकसित किए जाएंगे।

### **(xv) युवा कार्यक्रम**

भागीदार, युवा कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, दोनों देशों में युवा महोत्सवों में भागीदारी, युवा कार्य के प्रभारी अधिकारियों के दौरे, युवा कार्य में सहयोग के क्षेत्रों में अनुभव, कौशल,



तकनीकों, सूचना और ज्ञान के सहभाजन और युवाओं से संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों में आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों में युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देंगे।

### अनुच्छेद 3

#### सक्षम प्राधिकरणों और संयुक्त कार्यान्वयन समिति की स्थापना

(क) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के उद्देश्यों के लिए, सक्षम प्राधिकरण निम्नानुसार होंगे :

- 1) भारत गणराज्य की सरकार के लिए और उसकी ओर से : संस्कृति मंत्रालय और
- 2) जमैका की सरकार के मामले में : [विदेश और विदेश व्यापार मंत्रालय तथा कल्चर, जेंडर, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय]

(ख) दोनों पक्ष, संयुक्त कार्यान्वयन समिति गठित करेंगे जिसमें प्रत्येक देश से तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसकी बैठक वर्ष में एक बार दोनों देशों की राजधानियों में बारी-बारी से आयोजित की जाएगी। संयुक्त कार्यान्वयन समिति इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए परिस्थितियों की अपेक्षा के अनुरूप सम्मेलन के द्वारा भी बैठक आयोजित कर सकती है।

संयुक्त कार्यान्वयन समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :

1. दोनों देशों में समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की समीक्षा; और
2. दोनों पक्ष को समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में सुधार करने के तरीकों पर परामर्श देना।

### अनुच्छेद 4

#### सामान्य तथा वित्तीय प्रावधान

क. व्यक्तियों, शिष्टमंडलों, प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :

प्रत्येक पक्ष, इस करार के तहत चुने गए प्रतिनिधिमंडल अथवा व्यक्तियों के दौरे की संभावित तारीख से कम से कम दो माह पूर्व दूसरे पक्ष को जीवन-वृत्त (बोली जाने वाली भाषाओं तथा प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सहित) भेजेगा तथा प्रदर्शनी में प्रस्तुति करने वाले मंचकला समूहों का जीवन-वृत्त चार माह पहले भेजेगा। मेजबान पक्ष, प्रेषक पक्ष को कम से कम एक माह पहले उक्त तारीख की स्वीकृति अथवा तारीख आगे बढ़ाने की सूचना देगा। इसमें दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में बदलाव किया जा सकता है।



**ख. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान :**

मेजबान देश में प्रदर्शनियों, प्रदर्शनियों के बीमे से संबंधित मामलों और प्रदर्शनियों के आयोजन की लागत के संबंध में प्रेषक देश और मेजबान देश के बीच अलग से करार किये जाएंगे। प्रेषक पक्ष प्रस्तावित प्रदर्शनी के तकनीकी विवरण के बारे में मेजबान पक्ष को सूचित करेगा। समरूप सूचीपत्र के विस्तार संबंधी आवश्यक सूचना उदघाटन की तारीख से तीन माह पहले अवश्य भेजी जानी चाहिए। कला प्रदर्श, प्रदर्शनी शुरू होने से पन्द्रह दिन पहले उनके गंतव्य स्थल तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए। इसमें दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में बदलाव किया जा सकता है।

**ग. सामग्रियों का आदान-प्रदान :**

प्रत्येक पक्ष को सूचना, जन संचार के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की गई सामग्रियों का उपयोग अपने कार्यक्रमों में करने का अधिकार होगा और ऐसी सामग्रियों को मेजबान पक्ष द्वारा किसी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें केवल दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में बदलाव किया जा सकता है।

**घ. वित्तीय व्यवस्था :**

प्रेषक पक्ष, यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडलों और/या कलाकारों, मंचकला समूहों के संबंध में वायुयान से यात्रा के किराए सहित अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करेगा। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, कथित दौरे की अवधि के दौरान मेजबान पक्ष किसी भी परिस्थिति में केवल आतिथ्य प्रदान करेगा, जिसमें यथोचित मूल्य पर आवास, भोजन, सड़क परिवहन, और यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडलों के सभी सदस्यों और/या मेजबान पक्ष का दौरा करने वाले कलाकारों, एवं मंचकला समूहों के लिए प्रदान की जाने वाली आपातकालीन चिकित्सा उपचार से संबंधित मूल्य भी शामिल हैं। यह दोनों पक्ष के संबंध में लागू होगा और इसमें केवल दोनों पक्ष द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में बदलाव किया जा सकता है।



## विविध

क) दोनों पक्ष, इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार करने का आशय रखते हैं ताकि संबंधित मनोरंजन, संस्कृति और सृजनात्मक उद्योग के भीतर सभी क्षेत्रों में समझ, सहयोग एवं विकास को उन्नत और संवर्धित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे कार्यकलापों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में समय-समय पर विशेषीकृत किया जाएगा जिसमें दोनों भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित इस समझौता ज्ञापन हेतु अनुसूचियों के माध्यम से विशेषीकृत किया जाना भी शामिल होगा।

ख) दोनों पक्ष के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या, अनुप्रयोग या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले, किसी भी विवाद का निपटारा दोनों पक्ष के बीच परामर्श या बातचीत के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

ग) इस समझौता ज्ञापन के उपबंध दोनों पक्ष की अन्य व्यवस्थाओं पर, जिसे वे वांछित समझें, राजनयिक चैनलों के माध्यम से सहमत होने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

घ) इस कार्यक्रम को राजनयिक चैनल के माध्यम से दोनों पक्ष के बीच नोट के आदान-प्रदान के जरिए दोनों भागीदारों की पारस्परिक लिखित सहमति के द्वारा किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है। ऐसा कोई भी आशोधन दोनों पक्ष द्वारा सहमत तारीख से प्रभावी होगा।


ड.) यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्ष द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा और यह पांच वर्ष की अवधि या नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने तक वैध रहेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

30 सितम्बर 2024 को नई दिल्ली में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में, प्रत्येक की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी विभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

जमैका सरकार की ओर से



नाम : मयंक जोशी

पदनाम : जमैका में भारत के उच्चायुक्त



नाम : माननीय कामिना जॉनसन स्मिथ

पदनाम : विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री